न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 197/2019 (जीसीएमएस 2019/00281)

1. श्रीमती ज्ञानी पुत्री स्वर्गीय कल्याण पत्नी हरनाथ पैतृक निवासी ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मुन्दाडी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

2. श्रीमती बरजी पुत्री स्वर्गीय कल्याण पत्नी रेवड़ पैतृक निवासी ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम मन्डालिया मैदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. लादूराम पुत्र स्वर्गीय कल्याण जाति गुर्जर निवासी दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता कल्याण पुत्र पांचू के नाम ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1073 लगायत 1082 कुल किता 10 कुल रकबा 13.14 हैक्टेयर में हिस्सा 01/03 दर्ज व अंकित रही है, उक्त भूमि के पूर्व खातेदार अपीलान्ट के पिता कल्याण पुत्र पांचू का स्वर्गवास दिनांक 15.03.1989 को बमुकाम दांतली हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दांतली द्वारा दिनांक 18.01.2002 को जारी किया गया तथा अपीलान्ट्स की माता श्रीमती नारायणी देवी का स्वर्गवास दिनांक 24.04.2010 को हो चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि कल्याण पुत्र पांचू के जीवनकाल में 02 पुत्री सन्तान अपीलान्ट्स तथा 01 पुत्र सन्तान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उत्पन्न हुये और तीनों ही विधिक वारिसान अपीलार्थी वर्तमान में जीवित है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मृतक खातेदार कल्याण पुत्र पांचू की मृत्यु दिनांक 15.03.1989 के पश्चात् से ही उसके द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि के प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी होने के कारण अपने-अपने बराबर-बराबर हिस्सा प्रत्येक का 1/9 का खातेदार काश्तकार है किन्तु विवादित नामान्तरकरण संख्या 21 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या

P.T.O.

02 व राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ कर अपीलान्ट्स के पिता कल्याण पुत्र पांचू के सम्पूर्ण हिस्सा 01/03 का नामान्तरकरण गैर कानूनी रूप से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये स्वंय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया, जबकि विवादित भूमि में अपीलान्ट्स का भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ प्रत्येक का हिस्सा 1/9 नामान्तरकरण कानूनी रूप से विरासत के आधार पर दर्ज होना चाहिये था क्योंकि अपीलान्ट्स वर्तमान समय तक भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा समय–समय पर देखभाल करती रहती है, अपीलान्ट्स ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित महिला होने के कारण लम्बे समय तक अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त प्रकार से हुये परिवर्तन की जानकारी नही हुई, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त करने के लिये अपीलान्ट ने उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि के स्वामित्व दस्तावेज राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण की नकल दिनांक 15.06.2018 को प्राप्त की तो जानकारी हुई कि अपीलान्ट्स के हक व हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 11.05.1989 को तस्दीक कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तत्पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.2018 द्वारा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश के निर्देशों की पालना नही कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपने रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि मृतक कल्याण पुत्र पांचू के विधिक वारिसान की जॉच कर उचित निर्णय पारित करें उसके उपरान्त भी अधीनस्थ तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 21 में जयपुर विकास प्राधिकरण या अन्य किसी पक्षकार का कोई उल्लेख नही है, त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण के आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने भूमि को आगे स्थानान्तरण कर दिया है तो ऐसे स्थानान्तररण का कानूनी रूप से कोई विधिक महत्व नही है, यदि किसी सम्पत्ति में स्वामित्व की श्रृंखला में पूर्ववर्ती श्रृंखला त्रुटिपूर्ण है, तो पश्चात्वर्ती स्वामित्व का किसी प्रकार का कोई विधिक महत्व नही है तथा वह कानूनी रूप से प्रभाव शून्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों का गलत विश्लेषण कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 पारित किया

है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 का अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थित में पारित किया गया इस कारण अपीलान्ट के अधिवक्ता को आदेश के उपरान्त भी जानकारी नहीं हो पाई। आदेश की जानकारी होने पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 27.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.07.2019 को प्रान्त हुई है। उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने में देरी जानबुझकर नही की है बल्कि उपरोक्त कारणें से मजबुरीवश हुई जो क्षमा योग्य है जिसके लिये अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 21 ग्राम दांतली को खारिज फरमाया जाकर मृतक खातेदार अपीलान्ट के पिता कल्याण पुत्र पॉचू गुर्जर के नाम दर्ज रही कृषि भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम से बराबर-बराबर हिस्सा 1/9 में तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अपीलान्ट्स के हक व हिस्से की हद तक राजसव रिकार्ड के पश्चातवर्ती सभी प्रविष्टियों को प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर अन्य अनुतोष जो अपीलान्ट के हक में हो प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया

जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 11.05.1989 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा लगभग 29 वर्ष के असाधारण विलम्ब से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है उक्त 29 वर्ष में वादग्रस्त आराजी का कई लोगों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से बेचान हुआ है तथा वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भी क्रेतागण को यो रिकार्डेड खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर में प्रस्तुत अपील में पक्षकार ना बनाकर केवल अपने भाई लादूराम को एवं नायब तहसीलदार सांगानेर को ही बतौर रेस्पोडेन्ट बनाकर अपील प्रस्तत की गई जिससे प्रकरण की वास्तविक स्थिति न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष नही आ पाई और प्रकरण रिमाण्ड हुआ। नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही है जिससे किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक अधिकार तय नही किये जा सकते। ऐसे में यदि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट्स के किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार बनते है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर तय करवाने चाहिये। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।